शैलेन्द्र कुमार भाटिया आई०ए०एस०

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shailendra Kumar Bhatia I.A.S.

ACEO, YEIDA

YEIDA FUTURE IS HERE

पत्रांकः YEIDA/RRPS/सम्पत्ति / 781 / 2026
दिनांक 06 / 01 / 2026

सेवा में,

अध्यक्ष,
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ।

विषयः उ.प्र भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीयन हेतु प्रस्तुत परियोजना RPS10/2025 (ID1855101) में आपत्तियों के निराकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा नई आवासीय भूखण्ड योजना लाये जाने हेतु आपके कार्यालय मे भूखण्डों का पंजीकरण कराये जाने हेतु समस्त सलग्नको सहित आवेदन किया गया था। जिसके अन्तर्गत आपके कार्यालय के पत्र संख्या 0501261 / उ.प्र.रेरा / परि0पंजी0 / 2025–26 दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से 05 कमियों / आपत्तियों को दूर किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में आख्या निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	आपत्ति का विवरण	निस्तारण
2	Upload brief of enterprice on the promoter's letterhead, duly signed by authorized signatory, as required under Section 4[2][a] of the RERA Act.	उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन शासनादेश संख्या 697 / 77–4–2001–3 (एन–)–2001, दिनांक 24.04.2021 के द्वारा किया गया। जो कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के नियोजित औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय विकास को नियंत्रित करता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लान बनाना और बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़के, पानी, बिजली का विकास शामिल है। ताकि क्षेत्र का व्यवस्थित और कानूनी एवं सुनियोजित विकास किया जा सकें।
3	Upload revised Proforma of agreement of sale as it is mismatched with RERA Proforma as required Sec 4.[2] [g] of the RERA Act and Sec 14-[1][e][vi][a] of RERA Rules to be read with the model agreement to sale 2018	के संबंध में अवगत कराना है कि रेरा की वेब साईट पर उपलब्ध The proforma of the agreement for sale के proforma में प्रथम 03 बिन्दुओं जिनमे Promoter का उल्लेख 03 बिन्दुओं में किया गया है, 1. If the promoter is a company, 2. If the promoter is a partnership firm, 3. If the promoter is an Individual उक्त 03 बिन्दुओं में प्राधिकरण किसी में भी शामिल नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया। प्राधिकरण में Agreement for sale नहीं कराया जाता है, अपितु प्राधिकरण द्वारा लीज डीड निष्पादित करायी जाती है। प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाली लीज डीड का पारूप प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही रेरा की वेबसाईट पर अपलोड कराया जा चुका है। जिसकी प्रति पुनः पत्र के साथ संलग्न हैं।

साथ ही अवगत कराना है कि पत्र संख्या 43 / उ.प्र.रेरा / तक.सेल / 2025–26, दिनांक 01.01.2026 व पत्र संख्या 0501261 / उ.प्र.रेरा / परि0पंजी0 / 2025–26, दिनांक 05.01.2026 में उल्लिखित अन्य बिन्दुओं के संबंध में आख्या उ.प्र भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण की नई आवासीय भूखण्ड योजना हेतु अतिशीघ्र रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या जारी करने का कष्ट करें।

06/01/2026

(शैलेन्द्र कुमार भाटिया)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.बी.)